2018/00148

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 9/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बजरंगलाल
2. गीताबाई पुत्री बजरंगलाल
3. गायत्री बाई पुत्री बजरंगलाल
4. मनभर बाई पुत्री बजरंगलाल
5. शंकरीबाई पत्नि बजरंगलाल
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र देवकिशन
7. नितेश कुमार पुत्र देवकिशन
8. यशोदा पुत्री देवकिशन
9. सुलोचना पुत्री देवकिशन
10. राजेश पुत्री देवकिशन
11. प्रेमबाई पत्नी देवकिशन

निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा (अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– श्री सोनल शर्मा (अभिभाषक अप्रार्थी नं. 1 व 6)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 29.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 522 हाल खसरा नम्बर 362 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 14 पर उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 14 सम्वत् 2072–2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार

राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी नं0 1 व 6 की ओर से श्री सोनल शर्मा एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये ।

3. अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन अप्रार्थीगण ने तथ्य अंकित किये है कि सम्पूर्ण ख0 नं0 को पहचान के अनुसार तात्कालिक समय पर दर्ज कर लिये जाने से इसका प्रकार परिवर्तित नही होता । अप्रार्थीगण गरीब तथा कृषक वर्ग को परेशान करने के लिये निर्णय का गलत अर्थानवयन किया जा रहा है और भारतीय परिसीमा अधिनियम को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की विधायका के पारित कानूनों पर अधिभावी है साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है किसी भी व्यक्ति की भूमि बिना एक्वाययर किये और मुआवजा दिये नही छीनी जा सकती । कोटा शहर मे छोटा तालाब योजना के अन्तर्गत हॉलसेल क्लॉथ मार्केट, न्यू सर्राफा मार्केट,जी.एम.ए. प्लाजा और स्वर्ण रजत मार्केट स्पष्ट रूप से तालाब को भरकर बनायी गयी योजना है जो तालाब भरकर सरकारी भूमि मे व्यवसायिक परिसर बनाकर बेचे गये है इस प्रकार एक ही राज्य मे दो प्रकार की व्यवस्थाऐं किसानों की भूमि हडप करने के लिये जिस रूप से प्रार्थी द्वारा प्रयास किया जा रहा है व भारतीय विधि व संविधान के दिये गये अधिकारों का स्पष्ट हनन है । प्रार्थना पत्र के साथ के कोई दस्तावेज जवाबकर्ता को नही दिये गये है और कोई नकल जारी नोटिसो के साथ नही भिजवाई गई है । बिना विधिक अधिकारों के व दस्तावेज को उपलब्ध करवाये बिना मात्र किसी एक आधार को लेकर अन्य सभी विधियों को अनदेखी करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 522 हाल खसरा नम्बर 362 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 14 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 14 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव रावलावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा